प्रेषक,

उप निदेशक कारखाना/ब्वॉयलर, उत्तराखण्ड,
श्रम भवन, नैनीताल रोड,
हल्द्वानी।

सेवा में,

ऑक्यूपॉयर/कारखाना प्रबंधक,
मै0 समस्त कारखाने
उत्तराखण्ड राज्य

पत्र संख्या 185-89 एफ/को0वा0सू0 दिनॉंक 20/3/2020

महोदय,

जैसा कि विदित है कि कोरोना वायरस संक्रमण एक अंतर्राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में परिलक्षित हो रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसे Pandemic के रूप में अधिसूचित किया गया है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निरंतर कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है एवं समीक्षा की जा रही है, परन्तु वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत इस संक्रमण के पूर्ण नियंत्रण हेतु निरंतर कार्यवाही/अनुश्रवण करते रहना अति आवश्यक है।

उक्त संदर्भ में शासन के आदेश संख्याः 120/पीएस/सप्र./2020 दिनांक 18 मार्च, 2020 एवं श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड महोदया द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में राज्य में स्थापित उद्योगों के कारखाना प्रबंधकों को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपने कार्यस्थल पर ऑकस्मिक (Emergency) सेवा में कार्यरत कर्मकारों के अतिरिक्त अन्य सेवाओं में नियोजित कर्मकारों की संख्या में कमी करते हुये उक्त महामारी की रोकथाम हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा दिये गये स्वास्थ्य, सुरक्षा संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुये कारखाने में नियोजित कर्मकारों को बॉयोमैट्रिक उपस्थिति से छूट प्रदान करना सुनिश्चित करें।

(आर0के0सिंह)
उप निदेशक कारखाना/ब्वॉयलर, उत्तराखण्ड,
श्रम भवन, हल्द्वानी।

पत्र संख्याः एफ/को0वा0सू0 दिनांक : 2020

प्रतिलिपिः उप श्रमायुक्त, ऊधमसिंहनगर/हल्द्वानी/देहरादून/हरिद्वार/सहायक निदेशक कारखाना /ब्वॉयलर, उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि अपने क्षेत्रान्तर्गत उक्त पालन कराते हुये आज शाम तक आख्या श्रमायुक्त महोदया को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

(आर0के0सिंह)
उप निदेशक कारखाना/ब्वॉयलर, उत्तराखण्ड,
श्रम भवन, हल्द्वानी।